


28-07-2022

पत्रावली पेश की। स्वयं साधल व साधल
की ओर से कोरी उपस्थित नहीं। वार-वार
आवाज लगाई गई। न्यायालय का समग्र समिति
की ओर है अतः प्राथमिक पत्र 212 R.T. ACT.
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। अत्रावली
फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर बल
वाद के साथ संलग्न रहे।


उपस्थित अधिकारी
बसेही (बीकनूर) राज.